

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

158 डूंगरपुर अ.ज.जा. विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं, घोषणा करता हूँ कि—

श्री गणेश घोघरा पिता नाथूलाल गांव मझोला पोस्ट रामपुर सती तहसील — डूंगरपुर जिला—डूंगरपुर इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचन हो गए है।

स्थान :- डूंगरपुर

दिनांक :- 11.12.2018

(वरसिंह गरासिया)

रिटर्निंग अधिकारी

158(अजजा)—डूंगरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

158(अजजा)—डूंगरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(डप्ट. मजिस्ट्रेट) डूंगरपुर



FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Unionterritory) from 158- Dungarpur Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Mr. Ganesh Ghogra Village Majhola Post Rampur Sati Tehsil Dungarpur District Dungarpur sponsored by **Indian National Congress** (Name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Dungarpur

Date - 11/12/2018




(Varsingh Garasiya)
Returning Officer
158(S.T.) Dungarpur Assembly Constituency
(S.D.M.) Dungarpur